



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2011 ज्येष्ठ 13, शक 1933

## भाग ४

### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद के अधिनियम.             |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

### भाग ४ (क)—कुछ नहीं

### भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

### भाग ४ (ग)

### अन्तिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, भोपाल  
पंचम् तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल — 462 016

भोपाल, दिनांक 23 मई 2011

शुद्धिपत्र

क्र. 1609.—म. प्र. विनिआ-2011.—मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 2734, दिनांक 9 दिसम्बर 2009 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग चार में दिनांक 22 जनवरी 2010 को किया गया है. मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तों तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 (जी-35, वर्ष 2009) के प्रथम पैरा की द्वितीय पंक्ति में अंकित है कि “मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग एतद्वारा निम्न अधिनियम बनाता है”, में शब्द “अधिनियम” त्रुटिवश प्रकाशित हो गया है.

अतएव यह शुद्धि पत्र इस त्रुटि के सुधार हेतु प्रकाशित किया जा रहा है. उपरोक्त दर्शाये प्रथम पैरा की द्वितीय पंक्ति के शब्द “अधिनियम” को “विनियम” पढ़ा जावे.

आयोग के आदेशानुसार,  
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.